

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- डोमनपुर राजस्व ग्राम-चक्र-21वीं वि0ख0- उर्दारी जनपद- मधेशी

ग्राम पंचायत ने दिनांक 27/01/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण	उ०	पदनाम	मोबाईल न0
1	अशोक कुमार	पिढडावर्ग		अध्यक्ष	8400772773
2	राधेकिशोरी पांडेय	सामान्य		सचिव	9555321424
3	शिवशंकर मिश्र	पिढडावर्ग		कोषाध्यक्ष	9336679756
4	सत्य प्रकाश मिश्र	पिढडावर्ग	27	सामान्य सदस्य	9129276585
5	होरी लाल मिश्र	" "	35	सामान्य सदस्य	9651974562
6	विजय शंकर	" "	54	सामान्य सदस्य	9889745612
7	रजिन्द्र प्रसाद मिश्र	" "	62	सामान्य सदस्य	8081852896
8	शैलेंद्र प्रसाद मिश्र	" "	58	सामान्य सदस्य	8009484957
9	प्रहलाद मिश्र	" "	58	सामान्य सदस्य	9335342365
10	भरत मिश्र	" "	52	सामान्य सदस्य	7522890811
11	शक्ति देवी	" "	42	सामान्य सदस्य	9935055683
12	विष्णु मिश्र	" "	52	सामान्य सदस्य	7268826430
13	संदेश मिश्र	" "	38	सामान्य सदस्य	6386352449
14	जोशी मिश्र	" "	41	सामान्य सदस्य	9960839689
15	विजय मिश्र	" "	36	सामान्य सदस्य	9511407653

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं/ सेवाओं हेतु रख-रखाव/ उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराएँ तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

